आवेदक के लिए उपयोगी सुझाव

1. दिव्यांगता प्रमाणपत्र के मामले में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता आईडी)/दिव्यांगता प्रमाणपत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

2. किसी अन्य चिकित्सा प्रमाणपत्र (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी/विकलांगता प्रमाण पत्र के अलावा) में हस्ताक्षरकर्ता और प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का नाम और पंजीकरण संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। विकलांगता का स्थायी प्रकृति के रूप में उल्लेख हो। इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

3. दिव्यांगता दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित तीन सदस्यों का मेडिकल बोर्ड विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें से कम से कम एक सदस्य शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास या अस्थि रोग क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।

4. विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी को जानने के लिए, आवेदक नीचे दिए गए यूआरएल का संदर्भ लें -

http://www.swavlambancard.gov.in/findNearestMedicalAutority

3. आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज में उसका नाम एकसमान हो।

4. **प्रमाणपत्र जारी हो जाने के बाद उसमें किसी भी तरह का आशोधन (मॉडल/डीलर/आरटीओ) नहीं किया जाएगा। आवेदक को डीलर से पुष्टि करनी चाहिए कि उसे रियायत देने की इस प्रक्रिया के बारे में पता है या नहीं और उसके पास आवश्यक व्यापार प्रमाणपत्र है या नहीं। इसी तरह की पुष्टि आरटीओ की ओर से प्राप्त की जानी चाहिए। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद उसमें कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा ।**

5. **इस पोर्टल पर आवेदकों के पंजीकरण के दौरान, अपने सभी विवरण (नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल संख्या, आधार संख्या) बहुत सावधानी से भरें। एक बार गलत ई-मेल आईडी/नाम आदि दर्ज करने के बाद आप दोबारा पंजीकरण नहीं कर पाएंगे।**
6. **आवेदक को डीलर और आरटीओ की सही और प्रामाणिक ई-मेल आईडी का उल्लेख करना चाहिए। इंटरनेट या अन्य स्रोतों से उनकी ई-मेल आईडी न भरें। कृपया उनकी तरफ से ही पुष्टि कर लें।**